

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
10/2011

विक्रम संवत्
2067

8(कृ0) फाल्गुन 1932 (शा0)

जमशेदपुर, शुक्रवार, 25/02/11

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिसूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना

01-07

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
भू-अर्जन शाखा
अधिसूचना

संख्या..106

दिनांक .. 31.01.2011

चूंकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-भिलाइपहाडी, 4 परगनाथाना - घाटशिला थाना नं0-1146, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पलासबनी माइजर वाटर कौंस .. बी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- भिलाइपहाडी, के भीतर भूमि का 22 टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमावेस 1.95 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लोट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या:- 755. 1442. 756. 758. 759 760. 761. 762. 768. 769. 770. 771. 773. 774. 1273. 1278. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. एवं 1294

चौहद्दी

उत्तर:- अंश खेसरा संख्या- 755

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-755. 1442. 756. 758. 759. 761. 762 एवं 253

दक्षिण:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम .. सिमलडांगा थाना न0 1143

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या:- 1294.1291. 1290. 1289. 1288. 1287. 1278. 1273. 774. 772. 771. 770. 769. 768. 767. 762. 761. 760. 759. 758. 756. 1442. एवं 755

नोट :- अनाबाद झारयाण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या:- 767 का रकवा :-0.01 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त रखा गया है

लगातार-2

(3)

सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वीक्त ग्राम-भिलाइपहाडी, के भीतर भूमि का 10 टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमावेस 2.54 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लोट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या:- 736.737.752.7511342.1341. 1319.1322.1323. एवं 1326

चौहदी

उत्तर:- अंश खेसरा संख्या- 736

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-736 737. 752. 752 1342. 1341. 1307. 1314. 1319.1322. 1323 एवं 1326

दक्षिण:- सयुंक्त सीमा रेखा ग्राम .. सिमलडांगा थाना न0 1143

पश्चिम :- पूर्ण अंश खेसरा संख्या:- 1306. एवं अंश खेसरा संख्या:- 254

नोट :- अनाबाद झारयाण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या:- 1341 1387. 1314 का रकवा :- 2.19 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त रखा गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन 1,1894 की धारा - 4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध है। भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी प्रमण्डल सं0. 3 मानगो, जमशेदपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा.4 की उपधारा 2 में यथा उपबन्धित या विनिनिस्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा .5ए के उर्न्तगत सम्बन्ध व्यक्ति दवारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दारिवल की ग. इ उर्जन सम्बन्धी आपत्ति पर विचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

लगातार-4

(7)

चौहदी

उत्तर:-	अंश खेसरा संख्या- 248. 323.. 254 336. 324. 338. 1467. 329. 346.. 361. 360. 356. 829. 828. 827. 826. 825. 1443. 819. 754. 755. 753. 736. 729. 726. 640. 720. 1349. आर0 एफ 0 1389. 1406. 1390. 1389. 1408. 1410. एवं 1418
पूरब :-	अंश खेसरा संख्या- 248. 323.. 254 336. 324. 338. 1467. 329. 346.. 361. 360. 356. 829. 828. 827. 826. 825. 1443. 819. 754. 755. 753. 736. 729. 726. 640. 720. 1349. आर0 एफ 0 1389. 1406. 1390. 1389. 1408. 1410. एवं 1418
दक्षिण:-	अंश खेसरा संख्या- 1408. 1413. 1410. 1411. 1388 आर 0 एफ 0 1349. 720 640. 726. 738. 729. 738. 729. 737. 736. 753. 755. 754. 819. 825. 827. 829. 830. 361. 346. 339. 1467. 338. 329. 1466. 1465. 254. 325 तथा पुण अशं खेसरा संख्या- 835. 324. 320 एवं 319
पश्चिम :-	अंश खेसरा संख्या- 1408. 1413. 1410. 1411. 1388 आर 0 एफ 0 1349. 720 640. 726. 738. 729. 738. 729. 737. 736. 753. 755. 754. 819. 825. 827. 829. 830. 361. 346. 339. 1467. 338. 329. 1466. 1465. 254. 325 तथा पुण अशं खेसरा संख्या- 835. 324. 320 एवं 319

नोट :- अनाबाद झारयाण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या:-244. 345. 361.727. 1349. 1389 1391 1418. का रकवा :-1.42 एकड भूमि एवं सुरक्षित वन भूमि का रकवा .. 2.30 एकड अर्जन से मुक्त रखा गया है ।

यह अधिसुचना भू-अर्जन 1,1894 की धारा - 4 के उपबन्धों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध है । भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में लगे कार्यपालक अभियंता लघु वितरणी प्रमण्डल स0. 3 मानगो, जमशेदपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा.4 की उपधारा 2 में यथा उपबन्धित या विनिनिस्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

इस अधिसुचना के प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा .5ए के उन्तगत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दारिबल की ग. इ उर्जन सम्बन्धी आपत्ति पर विचार किया जायेगा ।

ह0/-

विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर